Email

OA-67/2024/EZ

Judicial Section

ORDER passed in Original Application No. 22/2024

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> Mon, Feb 26, 2024 01:11 PM

Subject : ORDER passed in Original Application No. 22/2024 2 attachments

To : Sh. RAJA CHATTERJEE Registrar <registrarngt-kolkata@gov.in>, Judicial Section <ngtjudicial-kolkata@gov.in>

Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the **Order dated 19/02/2024 passed in Original Application No. 22/2024 Krishna Mandal ...Applicant Versus State of Jharkhand & Ors. ...Respondents**. for your kind perusal & necessary action.

REGARDS
CONSULTANT (Judicial)
(N.G.T.)(P.B.) New Delhi

OA NO 22 of 2024.pdf
17 MB

Krishna Mandal.pdf
76 KB

Scanned with OKEN Scanner

(40)

1820/HP/2023
11/8/23

सेवा में,

E2B

श्रीमान, अध्यक्ष
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली
(जोन)

- Krishna Mandal
- Jharna Mondal

विषय :- नंदलाल मंडल पिता स्व० माधव मंडल, ग्राम-सरसाजोल, अंचल थाना-शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका द्वारा मेरे घर के बगल में धान एंव गेंहू आटा का मिल बैठाकर काम करने के कारण वायु, ध्वनी प्रदुषण उत्पन्न होने से मानसिक एंव शारिरीक रूप से तथा जान से मारने की धमकी एंव प्रताड़ित करने तथा हानि पहूँचाने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पुर्वक कहना है कि मै कृष्णा मंडल पति-स्वपन मंडल एंव झरना मंडल ~~दोनों~~ पिता ~~स्व०~~ स्वपन मंडल ग्राम-सरसाजोल, थाना-शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका की रहने वाले हूँ। मो० नं०- 6205227083

1. यह कि, मौजा-सरसाजोल में जमाबंदी नं0-5, दाग नं0-453 के अंश पर मेरा स्थायी मकान है जिसपर हमलोग तीन बहनें, माता कृष्णा मंडल उम्र-60 वर्ष पिता स्वपन मंडल उम्र-62 वर्ष एंव हमारा भाई नही है हम तीन बहनें रहते है हमलोग 20 वर्ष पुर्व से मकान बनाकर रहकर जीवन यापन कर रहे है हमारे जिविका का एकमात्र सहारा हमारे पिताजी है जोअभी बर्तमान में बिमार व्यक्ति है।

507/HCP/PMNS
10/08/23

2. यह कि, विपक्षी द्वारा जनवरी 2022 में हमारे मकान से सटाकर उसी जमाबंदी की अंश पर धान एंव आटा का मिल बैठा दिया गया, जबकि 10 वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

51

पूर्व से विपक्षी का मिल पुराने मकान में चलता था । डीजल इंजन से चालित यह मशीन के तेज आवाज एंव उड़ते भुसे एंव धुआ के कारण मेरे पिताजी को साँस लेने में तकलीफ हो गई । साँस के दिक्कत का सामना करनापड़ रहा है एंव मेरी पढ़ाई भी बाधित हो रही है हमलोग को मशीन के तेज आवाज के कारण सुनने का भी समस्या होने लगी है तेज ध्वनी एंव धुआ इत्यादि के कारण पूरा परिवार विभिन्न बिमारियों से शिकार होते जा रहे है पूरा परिवार अवसाद ग्रस्त हो गया है।

यह कि, विपक्षी दुर्भावना से प्रेरित होकर परेशान करने,आवास छोड़कर पलायन करनेएंव जान माल की हानि के उद्देश्य से मेरे आवास से सटाकर मिल स्थापित कर दिया । विपक्षी की नियत भविष्य में हमारे आवास की जमीन हड़पने और कब्जा करने की है।

इसके पुर्वमैने अप्रेल 2022 में इस बात की शिकायत एस•डी•ओ• दुमका,उपायुक्त दुमका,अंचलाधिकारी,शिकारीपाड़ा ,शिकारीपाड़ा थाना , जिला प्रदुषण पदाधिकारी ,दुमका को दिये थे । सभी आवेदन की कॉपी साथ में संलग्न है। [illegible] । जिसके कारण विपक्षी की मनमानी और भी बढ़ गयी ।

यह है कि विपक्षी के इस दबंग व्यवहार से परेशान होकर हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकार,दुमका में आवेदन दिया (प्री लिटिगेशन केस

Scanned with OKEN Scanner

– Krishna Mondal
Jharna Mondal

नं0- 12/2023) इस सभी के वावजुद भी इस वाद को आदेश दिनांक 11.07.2023 को बिना कोई फैसला किये ही वाद समाप्त कर दिया गया।

(6) यह कि, दिनांक 20.07.2023 को उपायुक्त दुमका के आदेश अनुसार कर्मचारी जाँच करने के लिए आये थे जिसने जाँच कर रिपोर्ट ले गये। इनके जाने के बाद लगभग 4.30 बजे शाम को 1. ~~मार्चा मंडल~~ नन्दूलाल मंडल, 2. दयाराम मंडल दोनों पिता सुखदेव मंडल, 3. विश्वजीत मंडल पिता नंदलाल मंडल इन सभी विपक्षीगणों ने मिलकर मेरी माँ, ~~बहन~~ बेटी, ~~पिताजी~~ एवं मेरे साथ मारपीट किये, जिसकी सूचना हमने थाना को दिया। जिसपर थाना प्रभारी ने केस दर्ज किया और केस को कोर्ट में भेज दिया गया, इसकी कॉपी भी हमने आवेदन के साथ संलग्न किया है।

(7) यह कि, इतना सब कुछ होने के बाद भी विपक्षी अपना मि[ल] बंद नही कर रहे है और हमलोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे है।

अत: श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त सभी समस्याओं की जाँ[च] करें और उचित कार्यवाही करके मिल विपक्षो के मिल को बंद करने की कारवाई की जाय। अन्यथा हमलोग पुरा परिवार बिमारी से ग्रसित होकर मर जायेंगें।

जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करें और हमलोगों को न्याय प्रदान करें

(43)

इसके लिए मैं सदा श्रीमान का आभारी बनी रहूँगी।

- Jharna Mondal

अनुलग्नक :- - Krishna Mondal आपका विश्वासी

1. अंचल अधिकारी को आवेदन दि॰05.04.2023 ——— 1 प्रति

2. अनुमंडल आवेदन -1 प्रति दिनांक 12.04.2022 ——— 1 प्रति

3. उपायुक्त आवेदन दिनांक 12.04.2022 ——— 1 प्रति

4. आवेदन नं-266 पुलिस अधीक्षक महोदय, दुमका ——— 3 प्रति

दिनांक 28.06.2022

5. रिपोर्ट दिनांक 2.6.2022 (जिला उद्योग केन्द्र, दुमका ——— 1 प्रति

1 प्रति

6. नोटिस तामिला विपक्षी , नंदलाल मंडल ——— 2 प्रति

दिनांक 21.05.2022 द्वारा क्षेत्रिय पदाधिकारी, दुमका

7. [illegible]

7. आदेश दि॰11.07.2023 जिला विधिक सेवा प्राधिकार ——— 3 प्रति

दुमका प्रीलिटिगेशन केस नं0-12/23 आवेदन की प्रति -1

8. एफ॰आई॰आर॰ कॉपी दिनांक 20.07.2023 । प्रति । ——— 1 प्रति

कुल - 12 प्रति

(अक्षिल)

~~अखिला दास~~

दिनांक - 04/08/23

(1)

(44)

सेवा में,

अंचलाधिकारी,

शिकारीपाडा !

विषयः— नंदलाल मंडल पिता—स्व० माघव मंडल, ग्राम—सरसाजोल, अंचल व थाना—शिकारीपाड़ा, जिला—दुमक के द्वारा शारीरिक एंव मानसिक रुप से प्रताड़ित कर पढ़ाई बंद कराने तथा आवास छोड़ने को विवश करने वे संबंध में!

महाशय,

निवेदन है कि हम दो बहनें चेताली मंडल और झरना मंड़ल पिता—स्वपन मंडल ग्राम—सरसाजोल अंचल व थाना—शिकारीपाडा जिला—दुमका की रहने वाली हुँ! मौजा सरसाजोल में अपनीं जमाबन्दी जमीन ज०न०— 5 दाग न० 453 के अंश पर मेरा मकान है। हम दोनों बहनें और माता—पिता अपने अवास में रह कर पढ़ाई एंव जीवन यापन करत हुँ। चैताली मंडल मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज रानेश्वर में बी०ए० ऑनर्स और झरना मंडल आई०ए० मे पढाई कर रही हुँ। आरोपित नंदलाल मंडल ने लगभग तीन माह पुर्व जनवरी 2022 में मेरे मकान से सटाकर घान और गेहुँ का मिल बैठा दिया हैं। डीजल इंजन से चलित यह मशीन रात—दिन चलती है। जिस कारण से मिलो का घुआँ और भूसा उड कर मेरे घर में फैलता रहता है। घुआँ और भूसा के कारण हमलोगों को साँस लेने मे दिक्कत हो रही हैं। और आँखो में जलन पैदा हो गई है। दिन—रात चलती घान और गेहुँ मील की तेज आवाज से और उड़ते भूसा और घुआँ व कारण घ्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनो हो गया है। मेरे माता—पिता की उम्र लगभग 60—65 वर्ष हो चुकी है तथा दोनो बीमार रहते है। भूसा और घुआँ में साँस लेने के कारण मेरे माता—पिता खाँसी के मरीज हो गए हैं। मिलो के तेज आवाज के कारण हम परिवार में आपस मे बात नहीं कर पा रही हैं। हम दोनों बहनों की पढाई पूरी तरह से बंद हो गर हैं। हमारा पूरा परिवार मानसिक रूप से अवसाद ग्रस्त हो गया हैं।

श्रीमान् को ज्ञात हो की नंदलाल पंड़ित ने दुर्भावना से प्रेरित होकर हम दोनों बहनों की पढाई बंद कराने हेतु एंव परेशान होकर घर से पलायन के लिए मजबूर करने के उद्वेश्य से ही घर से सटा कर घान और गेहुँ का मिल स्थापित कर दिया हैं।

अतः श्रीमान् से विन्रम निवेदन है कि नंदलाल मंडल पिता—स्व० माघव मंडल, ग्राम—सरसाजोल, अंचल व थाना—शिकारीपाड़ा, जिला—दुमका को नव स्थापित घान और गेहुँ का मिल पूर्व की तरह स्थानांतरित करने का आदेश देने की कृपा की जाय। जिससे हम दोंनों बहनों की पढाई निर्विघ्न जारी रह सकें और वायु—घ्वनि प्रदूषण के कारण बीमारी ग्रसित हो रहे मेरे माता—पिता को जीवन मिल सकें तथा परिवार सुकुन से जिवन यापन कर सकें। इसके लिए हम दोनों बहनें आपका सदा आभारी बनी रहेंगी।

आपकी विश्वासी।

दिनांक :— 05/04/2022

1. चैताली मंडल

2. झरना मंडल

पिता—स्वपन कुमार मंडल

ग्राम—सरसाजोल,

अंचल व थाना—शिकारीपाडा,

जिला—दुमका, मोबाईल न०—

6205227083

5/4/22

②

(45)

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,

दुमका!

विषयः– नंदलाल मंडल पिता–स्व० माघव मंडल, ग्राम–सरसाजोल, अंचल व थाना–शिकारीपाड़ा, जिला–दुमका, के द्वारा शारीरिक एंव मानसिक रुप से प्रताड़ित कर पढ़ाई बंद कराने तथा आवास छोड़ने को विवश करने के संबंध में!

महाशय,

निवेदन है कि हम दो बहनें चेताली मंडल और झरना मंडल पिता–स्वपन मंडल ग्राम–सरसाजोल अंचल व थाना–शिकारीपाडा जिला–दुमका की रहने वाली हुँ! मौजा. सरसाजोल में अपनी जमाबन्दी जमीन ज०न०– 5 दाग न० 453 के अंश पर मेरा मकान है। हम दोनों बहनें और माता–पिता अपने अवास में रह कर पढाई एंव जीवन यापन करती हुँ। चैताली मंडल मयूराक्षी ग्राभीण कॉलेज रानेश्वर में बी०ए० ऑनर्स और झरना मंडल आई०ए० मे पढाई कर रही हुँ।

आरोपित नंदलाल मंडल ने लगभग (तीन माह पुर्व) जनवरी 2022 में मेरे मकान से सटाकर घान और गेहुँ का मिल बैठा दिया हैं। डीजल इंजन से चलित यह मशीन रात–दिन चलती है। जिस कारण से मिलो का घुआँ और भूसा उड कर मेरे घर में फैलता रहता है। घुआँ और भूसा के कारण हमलोगों को साँस लेने मे दिक्कत हो रही हैं। और आँखो में जलन पैदा हो गई है। दिन–रात चलती घान और गेहुँ मील की तेज आवाज से और उडते भूसा और घुआँ के कारण ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनो हो गया है। मेरे माता–पिता की उम्र लगभग 60–65 वर्ष हो चुकी है तथा दोनो बीमार रहते है। भूसा और घुआँ में साँस लेने के कारण मेरे माता–पिता खाँसी के मरीज हो गए हैं। मिलो के तेज आवाज के कारण हम परिवार में आपस मे बात नहीं कर पा रही हैं। हम दोनों बहनों की पढाई पूरी तरह से बंद हो गः हैं। हमारा पूरा परिवार मानसिक रूप से अवसाद ग्रस्त हो गया हैं।

श्रीमान् को ज्ञात हो की नंदलाल पंडित ने दुर्भावना से प्रेरित होकर हम दोनों बहनों की पढाई बंद कराने हेतु एंव परेशान होकर घर से पलायन के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से ही घर से सटा कर घान और गेहुँ का मिल स्थापित कर दिया हैं।

अतः श्रीमान् से विन्रम निवेदन है कि नंदलाल मंडल पिता–स्व० माघव मंडल, ग्राम–सरसाजोल, अंचल व थाना–शिकारीपाड़ा, जिला–दुमका को नव स्थापित घान और गेहुँ का मिल पूर्व की तरह स्थानांतरित करने का आदेः देने की कृपा की जाय। जिससे हम दोंनों बहनों की पढाई निर्विघ्न जारी रह सकें और वायु–ध्वनि प्रदूषण के कारण बीमारी ग्रसित हो रहे मेरे माता–पिता को जीवन मिल सकें तथा परिवार सुकुन से जिवन यापन कर सकें। इसके लिए हम दोनों बहनें आपका सदा आभारी बनी रहेंगी।

आपकी विश्वासी।

1. चैताली मंडल

2. झरना मंडल

दिनांक :– 12/04/2022

पिता–स्वपन कुमार मंडल
ग्राम–सरसाजोल,
अंचल व थाना–शिकारीपाडा,
जिला–दुमका, मोबाईल न०–
6205227708

अनुलग्नक:
① चैताली मंडल और झरना मंडल के महाविद्यालय पहचान-पत्र की छाया-प्रति।
② जमीन बँटवारानामा की छाया-प्रति।
③ लगान रसीद की छाया-प्रति।
④ चैताली मंडल और झरना मंडल के आधार कार्ड की छाया-प्रति।
आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

③ 46

सेवा में

उपायुक्त महोदय,

दुमका!

विषयः– नंदलाल मंडल पिता–स्व० माघव मंडल, ग्राम–सरसाजोल, अंचल व थाना–शिकारीपाड़ा, जिला–दुमका के द्वारा शारीरिक एंव मानसिक रुप से प्रताड़ित कर पढ़ाई बंद कराने तथा आवास छोड़ने को विवश करने के संबंध में!

महाशय,

निवेदन है कि हम दो बहनें चेताली मंडल और झरना मंड़ल पिता–स्वपन मंडल ग्राम–सरसाजोल अंचल व थाना–शिकारीपाडा जिला–दुमका की रहने वाली हुँ! मौजा सरसाजोल में अपनी जमाबन्दी जमीन ज०न०– 5 दाग न० 453 के अंश पर मेरा मकान है। हम दोनों बहनें और माता–पिता अपने अवास में रह कर पढाई एंव जीवन यापन करती हुं। चैताली मडल मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज रानेश्वर में बी०ए० ऑनर्स और झरना मंडल आई०ए० मे पढाई कर रही हुँ।

आरोपित नदलाल मंडल ने लगभग तीन माह पुर्व जनवरी 2022 में मेरे मकान से सटाकर धान और गेहुँ का मिल बैठा दिया हैं। डीजल इंजन से चलित यह मशीन रात–दिन चलती है। जिस कारण से मिलो का धुआँ और भूसा उड कर मेरे घर में फैलता रहता है। धुआँ और भूसा के कारण हमलोगों को साँस लेने मे दिक्कत हो रही हैं। और आँखो में जलन पैदा हो गई है। दिन–रात चलती धान और गेहुँ मील की तेज आवाज से और उडते भूसा और धुआँ के कारण ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनो हो गया है। मेरे माता–पिता की उम्र लगभग 60–65 वर्ष हो चुकी है तथा दोनो बीमार रहते है। भूसा और धुआँ में साँस लेने के कारण मेरे माता–पिता खाँसी के मरीज हो गए हैं। मिलो के तेज आवाज के कारण हम परिवार में आपस मे बात नहीं कर पा रही हैं। हम दोनों बहनों की पढाई पूरी तरह से बंद हो गई हैं। हमारा पूरा परिवार मानसिक रूप से अवसाद ग्रस्त हो गया हैं।

श्रीमान् को ज्ञात हो की नंदलाल पंडित ने दुर्भावना से प्रेरित होकर हम दोनों बहनों की पढाई बंद कराने हेतु एंव परेशान होकर घर से पलायन के लिए मजबूर करने के उद्वेश्य से ही घर से सटा कर धान और गेहुँ का मिल स्थापित कर दिया हैं।

अतः श्रीमान् से विन्रम निवेदन है कि नंदलाल मंडल पिता–स्व० माघव मंडल, ग्राम–सरसाजोल, अंचल व थाना–शिकारीपाड़ा, जिला–दुमका को नव स्थापित धान और गेहुँ का मिल पूर्व की तरह स्थानांतरित करने का आदेश देने को कृपा की जाय। जिससे हम दोनों बहनों की पढाई निविर्घ्न जारी रह सकें और वायु–ध्वनि प्रदूषण के कारण बीमारी ग्रसित हो रहे मेरे माता–पिता को जीवन मिल सकें तथा परिवार सुकुन से जिवन यापन कर सकें। इसके लिए हम दोनों बहनें आपका सदा आभारी बनी रहेंगी।

आपकी विश्वासी।

1. चैताली मंडल

2. झरना मंडल

पिता–स्वपन कुमार मंडल

ग्राम–सरसाजोल,

अंचल व थाना–शिकारीपाडा,

जिला–दुमका, मोबाईल न०–

6205227083

दिनांक :– 12/04/2022

प्रतिलिपि.

सेवा में

(1) जिला प्रदूषण पदाधिकारी दुमका।।

(2) अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका।

(3) अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा।।

Scanned with OKEN Scanner

(4)

47

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला – दुमका।

विषय :– नन्दलाल मंडल पिता – स्व0 माधव मंडल ग्राम – सरसाजोल, अंचल – व थाना – शिकारीपाड़ा, जिला – दुमका द्वारा अवैध रूप से मेरे मकान के बगल में धान एवं गेहूँ की मिले बैठा देने के फलस्वरूप बायु एवं ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर पढ़ाई बन्द कराने, आवास छोड़कर पलायन करने को विवश करने, गाली गलोज करने तथा जान से मार डालने की धमकीं देने के सम्बन्ध मे।

महाशय,

निवेदन है कि हम दोनो बहनें चैताली मंडल और झरना मंडल पिता – स्वपन मंडल, ग्राम – सरसाजोल थाना – शिकारीपाड़ा, जिला – दुमका की रहने वाली कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा है। मौजा – सरसाजोल में अपनी पैतृक जमीन जमाबंदी नं0 05 दाग नं0 453 पर हमारा स्थायी मकान है । हम दोनों बहनें और हमारे माता–पिता अपने मकान में रहकर पढ़ाई करती हैं। और जीवन यापन करती हैं । चैताली मंडल मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज रानेश्वर में बी0ए0 ऑनर्स एवं झरना मंडल आई0ए0 में पढ़ाई कर रही है।

नन्दलाल मंडल ने करीब 06 माह पूर्व जनवरी 2022 में हमारे मकान से सटाकर धान एवं गेहूँ की मिलें बैठा दिया है। डीजल इंजन से चलित ये मशीनें दिन रात चलती हैं। भूसा और धूआँ के कारण हमारे माता पिता और हमलोग खासी से पीड़ित हो गए हैं साथ ही हमेशा तेज आवाज में रहने के कारण हमलोगों को सुनने की समस्या हो गई है। हमारे

Vinay
07/07/2022

48

माता पिता की उम्र 60–65 वर्ष पार हो चुकी है । मिलों की तेज आवाज के कारण हमलोग परिवार मे आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते हैं । हमारा पूरा परिवार अवसादग्रस्त हो गया है और हमदोनों बहनों की पढ़ाई बन्द हो गई है। ग्राम प्रधान द्वारा आरोपित नन्दलाल मंड़ल को इन मिलों को आवासीय परिसर दूर पूर्व के स्थान पर बैठाने के लिए कई बार कहा गया है लेकिन आरोपित ने ग्राम प्रधान की बात नही मानी । शिकारीपाड़ा थाना मे भी पंचों की उपस्थिति में नन्दलाल मंडल ने दो महीने के अन्दर अपने मिलों को हमारे आवास से दूर पूर्व की जगह पर ले जाकर बैठाने की बात कही थी लेकिन अभी वह कहता है कि नही हटाउँगा।

श्रीमान् को विदित हो कि नन्दलाल मंडल ने दुर्भावना से प्रेरित होकर षड़यंत्र के तहत हम दोनों बहनों की पढ़ाई बन्द कराने के उद्वेश्य से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण ओर वायू प्रदुषण पैदा कर परेशान कर अपने मकान से पलायन करने को मजबूर करनें हेतु हमारें मकान से सटाकर अवैध रूप से इन मिलों को स्थापित कर दिया है। आरोपित नन्दलाल मंडल की मंशा भविष्य में हमारे मकान और जमीन पर कब्जा करने की है।

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आरोपित को मिलों की स्थापना एवं सहमती आदेश प्राप्त करनें हेतु पत्र निर्गत किया है। (छाया–प्रति संलग्न) कार्यालय, महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र दुमका द्वारा ज्ञापांक 266 दिनांक – 02/06/2022 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी , झारखंड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद दुमका को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। (छाया–प्रति संलग्न) ।

Scanned with OKEN Scanner

49

आरोपित नन्दलाल मंडल दबंग किस्म का आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। अभी वह हमलोगो को गन्दी –गन्दी गालियाँ देता रहता है। और पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। आरोपित कभी भी हमलोगों के साथ अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है।

अतः श्रीमान् से विनम्र प्रार्थना है कि नन्दलाल मंडल पिता स्व0 माधव मंडल ग्राम – सरसाजोल थाना – शिकारीपाड़ा, जिला – दुमका द्वारा हमलोगो को आवास से पलायन करने हेतु मजबूर करने तथा मकान और जमीन हड़पने की नीयत से अवैध तरीके से स्थापित किऐ गये धान एवं गेहूँ की मिलों को आवासीय परिसर से दूर पूर्व की जगह पर ले जाने हेतु यथाचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं आरोपित द्वारा किये जा रहे गाली – गलौज एवं जान से मारने की धमकी के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय। जिससे हमारा परिवार सकुशल जीवन यापन कर सकें तथा हम बहनों की पढ़ाई जारी रह सकें। श्रीमान् की इस कृपा के लिए हमारा परिवार आपका सदा आभारी बना रहेगा।

दिनांक :– 28/06/2022

आपका विश्वासी

1 चैताली मंडल

2 झरना मंडल

पिता – स्वपन मंडल
ग्राम – सरसाजोल
थाना – शिकारीपाड़ा
जिला – दुमका।

5
8

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

Email ID- dicdumka12@gmail.com mob.- 6200228201

पत्रांक ..../ दिनांक....................../

प्रेषक,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

सेवा में,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।

विषय— सुश्री चैताली मंडल, पिता— श्री स्वपन कुमार मंडल, ग्राम— सरसाजोल, थाना— शिकारीपाडा, दुमका का अपने पडोस में चल रहे धान एवं आटा मिल से फैल रहे प्रदूषण के संबंध में शिकायत पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सुश्री चैताली मंडल, पिता— श्री स्वपन कुमार मंडल, ग्राम— सरसाजोल, थाना— शिकारीपाडा, दुमका द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अपने पडोस में चल रहे धान एवं आटा मिल चलाने से हो रहे प्रदूषण एवं कठिनाईयों से अवगत कराया है, जो चिन्ताजनक है। पत्र को मूल रूप से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अनु0— यथोक्त।

विश्वासभाजन

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

ज्ञापांक 266 दिनांक 12/06/2022
प्रतिलिपि— सुश्री चैताली मंडल एवं झरना मंडल, पिता— श्री स्वपन कुमार मंडल, ग्राम— सरसाजोल, थाना— शिकारीपाडा, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक 2/6/22
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।
2/6/22

Scanned with OKEN Scanner

(6)

(51)

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला दुमका – 814101

पत्रांक :–

दिनांक :–

प्रेषक:

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

सेवा में,

श्री नन्दलाल मंडल
ग्राम– सरसाजोल, पो0–बेंकीजोर
थाना– शिकारीपाड़ा
जिला– दुमका 816118

विषय :– पर्षद् से स्थापना/सहमति आदेश प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपुर्यक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके राईस मिल/आटा मिल (Huller Machine) मौजा सरसाजोल, जिला– दुमका का निरीक्षण दिनांक 30.04.2022 को किया गया निरीक्षण के दौरान आपकी इकाई संचालन अवस्था में नही पाई गई साथ ही पाया गया कि उक्त राईस मिल/आटा मिल (Huller Machine) डीजल इंजन द्वारा संचालित है जिसकी पावर क्षमता 10 एच0पी0 है। ज्ञातव्य हो कि आपकी इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (CPCB) के 29 फरवरी, 2016 को जारी उद्योगों के संशोधित वर्गीकरण की सूची में Table G-04 के Sl. no. 39 एवं Orgnl Sl. no. 60 में हरी श्रेणी के उद्योग के अन्तर्गत आती है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि पर्षद् से हरी श्रेणी के उद्योग के अन्तर्गत CTE/CTO प्राप्त करें एवं अपने इकाई में स्थित चिमनी की ऊंचाई को CPCB मानक के अनुसार सुनश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

ज्ञापांक :– 680 दुमका/दिनांक:– 21/05/2022

प्रतिलिपि :– चैताली मंडल एवं झारना मंडल पिता– स्वपन कुमार मंडल, पता– ग्राम– सरसाजोल, अंचल व थाना– शिकारीपाड़ा, जिला– दुमका मो0– 6205227083 को सूचनार्थ।

21/05/2022

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

52 (7)

Total No. of pages - 03

P.L. Case No - 12/2023

11/7/23 Both parties are physically present. After giving ample time & opportunity. Both parties failed to reach any mutual understanding. And hence the present pre-litigation failed.

So, both parties are now free to opt any appropriate legal remedies as they wish. And therefore this pre-litigation is dropped from this forum.

Dictated

Secretary.

Jhorna Mondal
Bishwojit Mondal

Secretary, DLSA Legal Services Authority, Dumka

Scanned with OKEN Scanner

Pre-litigation case No. 12/2023

(53)

Secretary
DLSA, Dumka
18.4.23

सेवा में,

श्रीमान, सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका

विषय :- नियाज मंडल पिता स्व0 माधव मंडल ग्राम-सरसाजोल, अंचल व थाना-शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका द्वारा मेरे घर के बगल में धान एवं गेहूँ का मिल बैठाकर चलाया करने के कारण वायु एवं ध्वनी प्रदूषण उत्पन्न होने से मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने तथा हानि पहूँचाने के संबंध में ।

महाशय,

1• यह है कि मै झरना मंडल उम्र-18 वर्ष पिता स्वपन मंडल, ग्राम-सरसाजोल, अंचल व थाना-शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका की रहने वाली हूँ। एवं मै कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा हूँ।

2• यह कि, मौजा-सरसाजोल में जमाबंदी नं0-05, दाग नं0-453 के अंश पर मेरा स्थायी मकान है जिसपर हमलोग तीन बहनें, माता कृष्णा मंडल उम्र-60 वर्ष पिता स्वपन मंडल उम्र-62 वर्ष है एवं हमारा भाई नहीं है हमलोग पाँच-छः वर्ष पूर्व से मकान बनाकर रहकर जीवन यापन कर रहे थे। [illegible] जमीन के खतियान हमारा हमारे पिताजी की है।

3• यह कि, विपक्षी द्वारा लगभग जनवरी 2022 में हमारे मकान से सटाकर उसी जमाबंदी के अंश पर धान एवं गेहूँ पिसने का मिल बैठा दिया गया, जबकि 10 वर्ष पुर्व से विपक्षी का मिल पुराने मकान में चलता था। डीजल इंजन से चालित यह मशीन के तेज आवाज एवं उड़ते भुसे एवं धुआँ के कारण से मेरे पिताजी को सास लेने में तकलीफ हो गई सास के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है एवं मेरी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हमलोगों को मशीन के तेज आवाज के कारण सुनने का भी समस्या होने लगी है। तेज ध्वनी एवं

Secretary District Legal Services Authority ★ Dumka ★

2/3

Scanned with OKEN Scanner

54

उड़ते धुआँ इत्यादि के कारण हमारा पुरा परिवार विभिन्न बिमारियों के शिकार होते जा रहे है पुरा परिवार अवसाद ग्रस्त हो गया है।

4. यह कि, विपक्षी दुर्भावना से प्रेरित होकर परेशान करने, आवास छोड़कर पलायन करने एंव जान माल की हानि के उद्देश्य से आवास से सटाकर [illegible] स्थापित कर दिया है- विपक्षी की नियत भविष्य में हमार आवास की जमीन हड़पने और कब्जा करने की है।

5. यह कि, इसके पूर्व भी अप्रेल 2022 में मैने इस बात की शिकायत, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका, उपायुक्त दुमका, अंचलाधिकारी, शिकारीपाड़ा, जिला प्रदूषण पदाधिकारी, दुमका को दिये थे जिसपर जाँच भी किया गया और रिपोर्ट भी दिया गया विपक्षी के प्रभाव में विपक्षी के पक्ष में, लेकिन इस सभी के बावजूद भी विपक्षी अपना [illegible] उस जगह से हटाकर कहीं दुसरी जगह स्थापित नहीं कर रहे है जिसके कारण हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आवासीय परिसर में [illegible] का चलाना उचित कार्य नहीं है।

6. यह कि, अभी तक मिल वहाँ से हटाकर कहीं दुसरे स्थान जो, लोगों के आवासीय परिसर से दुर हो स्थानांतरित करवाया जाय अन्यथा [illegible] के [illegible] और धुआँ के उड़ते धुआं के कारण माता-पिता [illegible] कारण बन जायेगा, हमारी पढ़ाई अवरुद्ध का भी कारण बन सकता है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे इस आवेदन पर उचित कार्रवाई करने एंव हमलोगों के साथ न्याय करने की कृपा करें इसके लिए मै आपका सदा आभारी बनी रहूँगी।

आपका विश्वासी
झरना मंडल
दिनांक - 18/4/2023
M.N - 620522270

विपक्षी
Sand mandal
7889370986

Secretary
DLSA Dumka
18-07-2023

Secretary, Distt. Legal Services Authority * Dumka *

3/3

अनुलग्नक
① अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के पास आवेदन की छायाप्रति - एक प्रति
② उपायुक्त दुमका को आवेदन की छायाप्रति - 2 प्रति

Scanned with OKEN Scanner

(58) (4)

सेवा में

श्रीमान थाना प्रभारी
शिकारीपाड़ा

विषय :- बगल के पड़ोसी द्वारा धान आधा मिल बैठाकर मेरे घर के तरफ सलेन्सर का आवाज करके डिस्टर्ब किया गया करने पर मार-पीट करके के सम्बन्ध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं कृष्णा मंडल पति - तपन मंडल ग्राम - खारघाजोल पो० कॉकीजोड़ थाना - शिकारीपाड़ा जिला - दुमका की निवासी हूँ। आज दिनांक 20/7/023 समय 4:30 बजे के लगभग मैं मेरे बगल पड़ोसी ① नन्दलाल मंडल पिता - स्व० माधव मंडल ② श्यामल मंडल पिता स्व० सुदेव मंडल ③ विश्वजित मंडल पिता - नन्दलाल मंडल सभी ग्राम लोग एक ही परिवार के हैं और सभी मिलकर इन लोगों में तीन लोग ने मार-पीट कर मेरी बहु रेखी चैनताली मंडल के गले में पहना सोने का चेन जिसका मूल्य (एक लाख पच हजार) के करीब था जो छिन लिया है जबकि इन लोगों से हमलोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है ये लोग मेरे घर के सामने धान का आधा मिल बैठाकर जबरदस्ती शोर करते हैं इस सम्बन्ध में आज कीन के लिए अपना पंचायत से कार्यवाही नहीं हुआ है उनके देख रेख के बाद पर चला गया कि ये लोग असलील गाली गलौज के साथ मार पीट किया है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उक्त विषय के सम्बन्ध में कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाए।

दिनांक 20/7/023

आपका विश्वासनीय
नाम - Krishna Mandal
ग्राम - खारघाजोल
पो० - कॉकीजोड़

Registered Shikaripara P.S. Case No. 78/23 dt. 20/7/23 u/s 341/323/504/379/34 IPC & forward to S.I. ... to take up the case.
O/C Shikaripara P.S. 20.7.23

Item No.4 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No. 22/2024

Krishna Mandal ...Applicant

Versus

State of Jharkhand & Ors. ...Respondents

Date of hearing: 19.02.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: None for the Applicant.

Application is registered based on a letter petition received by post.

ORDER

1. Krishna Mondal has sent by post the present letter petition to this Tribunal, which has been treated and registered as O.A. No. 22/2024.

2. The applicant has submitted that they are living in village Sarsazol, Thana Shikaripada, District Dumka, Jharkhand for the last 20 years. Nandlal Mandal has setup rice and flour mill adjoining to their house in January, 2022 by shifting the same from his old house. The project proponent is operating the rice and flour mill by using the diesel engine. His father is suffering from breathing problems. Studies of the applicant are also being affected by the air and noise pollution caused. He made complaints to the concerned authorities in April 2022 and July 2022 but no action has been taken on the same.

Scanned with OKEN Scanner

3. *Prima facie* the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.

4. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board, Jharkhand State Pollution Control Board, District Magistrate, Dumka and direct the same to meet **within two weeks**, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action to the concerned Authorities. The Jharkhand State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Even though in the present case cognizance has been taken by this Bench on the basis of letter petition received by post with approval and assignment under order of Hon'ble Chairperson, but in view of the facts and circumstances of the case including the fact that the place of accrual of cause of action lies within jurisdiction of the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata, we are of the considered view that it will be appropriate if the case is further heard by the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata.

6. Accordingly, the Registry is directed to list the matter before the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata on 23.04.2024 after obtaining orders from Hon'ble the Chairperson for transfer of the case.

Scanned with OKEN Scanner

7. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed before the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata by email ngtjudicial-kolkata@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. A copy of this order be sent to the Member Secretary, Central Pollution Control Board, Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, District Magistrate, Dumka by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 19th, 2024
N